


न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र०)



- 1— रमेश प्रसाद पिता रामदास मल्लाह उम्र 48 वर्ष
 2— बिट्टीबाई पुत्री रामदास मल्लाह, उम्र 45 वर्ष रु 5047/-
 दोनों निवासी ग्राम करहीकला, तहसील उचेहरा, जिला सतना

रु 30/-

निगरानीकर्तागण

- बनाम
 1— रामऔतार पिता रामदास मल्लाह सभी निवासी ग्राम करहीकला हाल
 2— सखियाबाई वेवा रामदास मल्लाह मुकाम गौहारी, तहसील रामपुर
 3— गुड़िया बाई पुत्री रामदास मल्लाह बाघेलान जिला सतना (म0प्र०)
 4— मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह
 5— बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह
 6— सजना पुत्र गणेश प्रसाद नाबा०सं० मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह
 7— अन्जू पुत्री गणेश प्रसाद मल्लाह नाबा०सं० मोहनिया वेवा गणेश प्रसाद
 8— पिन्टू पुत्र गणेश प्रसाद ना०सं० मॉ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद
 9— शिवानी पुत्री गणेश प्रसाद ना०सं० मॉ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद
 10— गोलूबाई पुत्री गणेश प्रसाद ना०सं० मॉ बिल्लो वेवा गणेश प्रसाद मल्लाह
 सभी निवासी ग्राम करहीकला, तहसील उचेहरा, जिला सतना
 (म0प्र०) ——गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय
 अधिकारी, तहसील उचेहरा, जिला सतना
 (म0प्र०) के अपील प्र०क०-७० / अपील / १४-१५
 में पारित आदेश दिनांक ०९ / ०१ / २०१७

निगरानी अंतर्गत धारा ५० म0प्र० भू राजस्व
 संहिता १९५९ ई०

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :—
 यह कि ग्राम करही कला की आराजी नं०-१०५ / १, १०६ / १,
 १७८ / १, १०७२ / १, १२०९ / १, १३२१, १५७६, १५७९ / १, १६१७,

द्वंद्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0 R.5047—दो/17

जिला—सतना

रमेश प्रसाद/रामऔतार

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा—35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सुन्दरस्य</p>	